सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	पौष 11, सोमवार, *शाके* 1945-जनवरी 01, 2024 *Pausa 11 Monday , Saka 1945- January 01 , 2024*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कृषि (ग्रुप-1/इनपुट)विभाग

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 6, 2023

संख्या प. 12(8) कृषि-1/इनपुट/2023 :-कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 19 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राज्य कीटनाशी परीक्षण प्रयोगशाला, सीकर हेतु निम्नलिखित अधिकारियों, जो कीटनाशी नियम, 1971 के नियम 21 के अनुरूप कीटनाशी विश्लेषण हेतु निर्धारित न्यूनतम योग्यता रखते हैं, को विश्लेषक की हैसियत से विश्लेषण रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने के लिये अधिकृत करती है:-

1. संयुक्त निदेशक कृषि (रसायन)
2. कृषि अनुसंधान अधिकारी (रसायन)
3. सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी (रसायन)

राज्यपाल की आज्ञा से,
कैलाश नारायण मीना,
संयुक्त शासन सचिव।

Agriculture (Group-1/Input) Department

Notification

Jaipur, September 6, 2023

No. F. 12 (8) Agriculture-1/Input/2023 .-In exercise of the powers conferred under Section 19 of the Insecticides Act, 1968, the State Government hereby authorise the following officers working in the State Pesticide Testing Laboratory, Sikar, who possess the prescribed minimum qualifications for analysis of insecticide samples as per rule 21 of the Insecticides Rules, 1971, as Analysts to sign the analysis report:-

1. Joint Director Agri. (Chemistry)
2. Agriculture Research Officer (Chemistry)
3. Assistant Agriculture Research Officer (Chemistry)

By Order of the Governor,
Kailash Narayan Meena,
Joint Secretary.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।